न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए/3570/2001/अजमेर

1— गंगा बेवा रामा पुत्र भूरा

2— नैनू सिंह पुत्र रामा

जातियान रावत, निवासीगण झाक बाडिया मथाना, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

—अपीलांटस

बनाम

1— मोती सिंह पुत्र कालू सिंह जाति रावत, निवासी रूपाहेली बलाड

2— लाडीबाई पुत्री कालू पत्नी भैरूसिंह निवासी रूपाहेली रतनपुरा।

3— मु. रूकमा पुत्री रामा पत्नी धन्ना निवासी झाक बाडिया मथाना।

4— मु. कोयली पुत्री रामा निवासी रावला झाक बाडिया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

5— राजस्थान सरकार।

—रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांटस

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनपुस्थित

श्री दीपक पारीक, अधिवक्ता रेस्पो सं0 3

निर्णय

दिनांकः— 30.07.2025

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्या 741/2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलांट व शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष पेश कर कथन किया कि वाकै ग्राम झाक तहसील ब्यावर में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1128, 1129, 1387, 1381, 1098, 1099, 1127, 1382,

1383, 1450, 1385, 1451 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात में स्व0 कालू के वारिसान वादीगण एवं रामा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का बराबर 1/2 हिस्सा है तथा इसी प्रकार आराजीयात पर एक जामुन का पेड़ है, जिसमें भी हमारा बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा है। इन आराजीयात का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। भू–संशोधन से पूर्व स्व0 रामा पुत्र भूरा व कालू पुत्र गोमा के नाम चली आ रही थी। 3–4 वर्ष पूर्व वादी ने स्व0 रामा पुत्र भूरा के पास जाकर वादग्रस्त आराजीयात में अपने पिता के 1/2 हिस्सा भूमि को वापस संभलाने का निवेदन किया तो उसने मना कर दिया। इसलिए उन्हें यह बंटवारें का दावा पेश करना पड़ा है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2000 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष पेश की गई, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2001 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । विचारण न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत वाद व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को सम्मिलित कर दिया किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वाद अपीलांटस के विरूद्ध डिक्री कर दिया तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद का अनिर्णित रखा, जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का वाद निर्णित करते हुए जब दोनों वाद सम्मिलित कर दिए थे एवं अपीलांट के वाद में बनाई तनकियों एवं साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए अपीलांट के वाद को भी निर्णित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने न तो वाद निर्णित करने की आवश्यक प्रक्रिया का अनुसरण किया और ना ही अपीलांट का वाद ही निर्णित किया। वादीगण का वाद मिसकन्सीवड था, साथ ही प्लीडिंग एवं साक्ष्य में विभिन्नता होते हुए भी वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। वादीगण मोती

सिंह अपने आपको कालू पुत्र गोमा का लड़का साबित नहीं कर पाया। साथ ही वादी संख्या 1 व 2 द्वारा जो गवाहान प्रस्तुत किए गए है, उन गवाहान में से स्वयं वादी एवं वादी के अलावा सुण्डासिंह, घीसा, धीरा एवं भंवरा जाट , हुकमा के जो बयान कराए है, उनके बयानों से यह सिद्ध नहीं होता है कि मोती सिंह कालू पुत्र गोमा का पुत्र था । इसके विपरीत अपीलांट ने वादी संख्या 1 व 2 व स्वयं के वाद में गवाह खीमसिंह, अहमद, रूकमा के बयान कराए साथ ही स्वयं अपीलांट संख्या 1 के बयान कराए है। अपीलांट के सभी गवाहान से यह सिद्ध होता है कि हीरा के तीन लड़के भूरा, लाखा व गोमा थे। गोमा व लाखा नाऔलाद गुजर गए एवं भूरा के पुत्र रामा व रामा के वारिसान अपीलांट व अन्य रेस्पो0 संख्या 3 व 4 है। रामा के हिस्से में जो भी भूमि आयी वो अपीलांटस को धारित हो गयी एवं दौराने भू–संशोधन राजस्व रिकार्ड में जो परिर्वतन किया गया है वो कालू के नाम दर्ज किया गया है, जिसके लिए बंदोबस्त् अधिकारी सक्षम है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्यों का बिना विवेचन एवं विश्लेषण किए निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है। जिसे नजरअंदाज किए जाने में अपीलीय न्यायालय ने भी विधिक त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। वादी संख्या 1 व 2 के वाद में इस आशय की कोई तनकी कायम नहीं की गई कि बंदोबस्त अधिकारी ने पूर्व राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज में परिवर्तन किया हो। फिर भी विचारण न्यायालय ने ऐसा मानकर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को अपीलांट के साथ 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार मानकर साक्ष्य के विपरीत अपना निर्णय पारित किया है, जो काबिल निरस्तनीय है। दोनों अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। वादी संख्या 1 व 2 अपने वाद में यह सिद्ध नहीं कर पाए कि वह किस प्रकार विवादित भूमि में कालू के उत्तराधिकारी होने का क्लेम रखते है, जबकि कालू व लाखा के स्वर्गवास होने पर अपीलांट विवादित भूमि पर 30 वर्षो से काश्त व काबिल चले आ रहे हैं। विवादित भूमि पर उनका एडवर्स पजेशन हो चुका था तथा वादी संख्या 1 व 2 के यदि कोई स्वत्व अधिकार थे तो वे राज0काश्त0अधि0 की धारा 63 के तहत समाप्त हो चके थे। किन्तु दोनों अधी0न्याया0 ने इन समस्त तथ्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.05.2001 तथा न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

31.08.2000 को निरस्त किया जावें तथा अपीलांट के वाद को निर्णित करने के लिए सहायक कलक्टर, ब्यावर को निर्देश दिए जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर सुप्रीम कोर्ट 2007 पेज 900, आरआरटी 2008 (1) पेज 301, आरआरडी 1989 पेज 522, आरआरडी 1989 पेज 774 आदि के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किए।

5— विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए विधिनुसार निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

6— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2/वादीगण ने अपीलांट/प्रतिवादी एवं शेष रेस्पो0 संख्या 3 व 4/प्रतिवादीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत ग्राम झाक तहसील ब्यावर स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 1128, 1129, 1387, 1381, 1098, 1099, 1127, 1382, 1383, 1385, 1450 व 1451 बाबत् पेश कर कथन किया कि उपरोक्त आराजियात में स्व0 कालू के वारिसान वादीगण एवं रामा के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 1/2 – 1/2 हिस्सा है तथा इसी प्रकार आराजियात पर एक जामून का पेड़ है जिसमें भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2 – 1/2 हिस्सा है । भू–संशोधन से पूर्व आराजीयात स्व0 रामा पुत्र भूरा व कालू पुत्र गोमा के नाम चली आ रही थी । 3–4 वर्ष पूर्व वादी ने स्व0 रामा पुत्र भूरा के पास जाकर वादग्रस्त आराजियात में अपने पिता के 1/2 हिस्सा की भूमि को वापिस संभलाने का निवेदन किया तो उसने मना कर दिया। इसलिए वाद प्रस्तुत कर वाद में दर्शाये अनुसार वाद डिक्री किया जावे। उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिस पर प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया जिसमें सजरा दर्शाते हुए कथन किया कि लाखा के लड़के बालू की नाऔलाद मृत्यु हो गयी थी उसके बाद बालू की पत्नि धापू ने कालू पुत्र जोधा के साथ शादी कर ली थी जिससे उसके मोतीसिंह पुत्र कालू व लाडी पुत्री कालू उत्पन्न हुए थे । इस कारण उक्त

आराजियात में उनका कोई हिस्सा नहीं है और ना ही कोई कानूनी अधिकार ही है । वादीगण जब रिकार्डेड खातेदार काश्तकार ही नहीं है तो उनको यह वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । कालू पुत्र गोमा नाऔलाद फौत हो चुका है जबकि वादीगण कालू पुत्र जोधा की संताने है । वादीगण कालू के नाम का दुरूपयोग करके एवं उसके फर्जी वारिस बनकर यह आराजियात हड़पना चाहते है । अतः वाद खारिज किया जावे । वादीगण ने उक्त जवाबदावा का जवाबुल जवाबदावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादीगण ने उनके जवाबदावा दावा के पैरा संख्या 17 में सजरा दिया है उसे वादीगण को कालू पुत्र जोधा की संतान होना बताया है, जो कत्तई गलत है । कालू पुत्र जोधा के 4 लड़के नींबसिंह, मंगलसिंह, ऊमसिंह व गुलाबसिंह है व एक लड़की धन्नी है तथा कालू पुत्र जोधा की मृत्यु के बाद उसकी भूमि का नामांतकरण भी उन्हीं के नाम पर हुआ । वादीगण कालू पुत्र जोधा की संतान नहीं है । उक्त वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात के संबंध में एक पश्चात्वर्ती वाद गंगा बेवा रामा द्वारा वादी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 188 राज0काश्त0अधि0, 1955 के तहत पेश हुआ । विचारण न्यायालय ने दोनों वादो को सम्मिलित कर दोनों प्रकरणों में क्रमशः 5 व 8 तनकीयात कायम की गई । वादीगण मोतीसिंह व श्रीमती लाडीबाई द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 52/93 में तनकी संख्या 1 यह कायम की गई कि—"आया वादीगण स्व0 कालू पुत्र गोमा के कानूनी वारिसान है ? इसी प्रकार पश्चात्वर्ती वाद जो गंगा वगैरह द्वारा पेश किया गया है, में तनकी संख्या 1 यह कायम की गई कि— " आया वादग्रस्त आराजियात जो वाद के पद सं0 1 में दिया गया है वादीगण के एकमात्र कब्जे काश्त की भूमिया है ?

8— उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी कालू ने कालू पुत्र गोमा का कानूनन वारिस होने की पुष्टि में 5 गवाहों के बयान करवाये जिसमें स्वंय वादी कालू ने बयान में कहा है कि वह कालू पुत्र गोमा का लड़का है । उसके पिता कालू पुत्र गोमा की 30 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाने पर कालू पुत्र गोमा की पत्नि जो वादी की मां है नाते चली गई और वादी को भी नातायत पति के यहां ले गई । मेरी मां को धापू भी कहते थे । मेरी बहन लाडी है वह मेरी मां के साथ नातायत पति के यहां नहीं गई थी। इसी प्रकार दूसरे गवाह गंगा के नातायत पति कालू पुत्र जोधा के पुत्र नीम्बसिंह ने अपने बयान में कथन किया कि मोतीसिंह मेरी मां गंगा से पैदा हुआ है लेकिन यह कालू पुत्र गोमा की

पैदाईश है । विचारण न्यायालय ने वादीगण के उक्त गवाहों के बयानों से उक्त तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष में वादी संख्या 1 कालू पुत्र गोमा का कानूनी वारिस सिद्ध होना माना है । जो विधिसम्मत् निष्कर्ष है । इसी प्रकार गंगा बनाम मोती वाद में बनाई गई तनकी संख्या 1 के निष्कर्ष में भी विवादित भूमि कालू पुत्र गोमा व रामा पुत्र भूरा के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की होना माना है। हस्तगत प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह रहा है कि मोती सिंह वादी संख्या 1 कालू पुत्र गोमा का पुत्र है या कालू पुत्र जोधा का । इस संबंध में विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 में स्पष्ट रूप से विवेचन, विश्लेषण करते हुए तनकी संख्या 1 वादी मोती के पक्ष में निर्णित की है । विचारण न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सही रूप से पुष्टि की है । हमारी राय में विचारण न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद को तनकीवार निर्णय करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप किया जाना हम द्वितीय अपील के स्तर पर उचित नहीं समझते हैं। जहां तक अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से लागू नहीं होने से अपीलांटस की सहायता नहीं कर सकते हैं।

9— उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में किसी प्रकार की कोई विधिक या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार योग्य नहीं पायी जाती है ।

10— परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.05.2001 एवं सहायक कलेक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2000 यथावत् रखे जाते है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष